भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 173

दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

बालकों के कल्याण के लिए योजनाएं

*173. प्रो॰ अच्युतानंद सामंतः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बालकों के विकास, संरक्षण और कल्याण के लिए योजनाएं/कार्यक्रम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो बाल विवाह, कुपोषण, दुर्व्यापार और स्कूलों से पढ़ाई बीच में छोड़ने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी निधि आबंटित की गई तथा उनका कितना उपयोग किया गया; और

(घ) ऐसे बालकों के हितों के संरक्षण तथा उनकी दशा में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

*****

'बालकों के कल्याण के लिए योजनाएं' विषय पर प्रो॰ अच्युतानंद सामंत द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के भाग(क) से (घ) में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : बच्चों के विकास, संरक्षण और कल्याण के लिए सरकार द्वारा निर्मित एवं कार्यान्वित स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

आंगनवाड़ी सेवाएं :

आंगनवाड़ी सेवा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास के लिए एक अनोखा कार्यक्रम है । यह छह सेवाओं अर्थात पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है । इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा शिशुवती माताएं शामिल हैं । स्कीम का उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में नीति एवं कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना और समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मां की क्षमता बढ़ाना है। ये सेवाएं 13.77 लाख क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं । इस समय 30.06.2019 की स्थिति के अनुसार 836.25 लाख लाभार्थी इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं ।

पोषण अभियान

सरकार ने 9046 करोड़ रुपये के समग्र बजट से 2017-18 से तीन साल की अवधि के लिए 18.12.2017 को पोषण अभियान का गठन किया है । समग्र दृष्टिकोण का सुनिश्चय करने के लिए सभी 37 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिले शामिल किए गए हैं । पोषण अभियान का लक्ष्य निम्नलिखित निर्धारित लक्ष्यों के साथ 3 साल के दौरान समयबद्ध ढंग से बच्चों (0-6 वर्ष), किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है :

क्र.सं.	उद्देश्य	लक्ष्य
1	बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनेपन का निवारण एवं उसमें कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक
2	बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्प-पोषण (अल्प वजन की व्याप्तता) का निवारण एवं उसमें कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक
3	छोटे बच्चों (6-59 माह) में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9 % तक

4	15-49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9 % तक
5	जन्म के समय अल्प वजन (एलबीडब्ल्यू) में कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक

अभियान का उद्देश्य तालमेल पर आधारित और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर जीवनचक्र के दृष्टिकोण के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से देश में कुपोषण कम करना है । अभियान समय से सेवा-प्रदायगी के लिए तंत्रों तथा मजबूत निगरानी एवं हस्तक्षेप अवसंरचना का सुनिश्चय करेगा । वर्ष 2022 तक 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों में ठिगनेपन की दर को 38.4 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत पर लाना है । इस अभियान के तहत किए गए प्रमुख कार्यों में विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना; सेवा-प्रदायगी एवं हस्तक्षेपों के सुदृढ़ीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर; पोषण के पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन का रूप लेने वाली सामुदायिक संचेतना एवं जागरुकता हिमायत; अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता का निर्माण, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन आदि देना शामिल है ।

किशोरियों के लिए स्कीम :

स्कूल बाह्य किशोरियों (11-14 वर्ष) की बहुआयामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा इन लड़कियों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 01 अप्रैल, 2018 से 11-14 वर्ष की आयु की सभी स्कूल बाह्य किशोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किशोरी स्कीम का अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार किया गया है । स्कीम का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को सहायता प्रदान करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर एवं जागरुक नागरिक बन सकें । स्कीम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है ।

स्कीम में पोषण और गैर-पोषण नामक दो घटक हैं । गैर-पोषण घटक के तहत किशोरियों को सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है जिसमें (i) आयरन और फॉलिक एसिड संपूरण (ii) स्वास्थ्य जांच एवं रैफरल सेवाएं (iii) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (iv) औपचारिक शिक्षा में शामिल होने के लिए स्कूल बाह्य लड़कियों को प्रेरित करना (v) जीवन कौशल शिक्षा और (vi) सरकारी सेवाएं प्राप्त करने पर परामर्श/मार्गदर्शन शामिल हैं ।

राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम :

राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम कामकाजी माताओं के बच्चों (6 माह-6 वर्ष) को दिवस देखरेख की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 01.01.2017 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में चलाई जा रही है । स्कीम निम्नलिखित सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करती है :

i. सोने की सुविधाओं सहित दिवस देखरेख की सुविधाएं ।

ii. 3 साल से कम आयु के बच्चों के लिए समय से उत्प्रेरण और 3-6 साल की आयु के बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व शिक्षा ।

iii. पूरक पोषण (जो स्थानीय स्तर से प्राप्त किया जाता है) ।

iv. विकास की निगरानी ।

v. स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण ।

बाल संरक्षण सेवाएं :

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के अंतर्गत परिकल्पना के अनुसार कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों की सहायता के लिए बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम (तत्कालीन समेकित बाल संरक्षण सेवा) नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है । सीपीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करने, स्वयं अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे रही है । स्कीम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है ।

स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास के उपाय के रूप में सीसीआई के माध्यम से संस्थानिक देखरेख प्रदान की जाती है । गृहों में कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में अन्य बातों के साथ आयु के अनुरूप शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श आदि तक पहुंच शामिल है । स्कीम सर्वशिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की सहायता से शिक्षा विभाग की मदद से सेतु शिक्षा सहित शिक्षा प्रदान करती है । गैर-संस्थानिक देखरेख नामक घटक के अंतर्गत दत्तक ग्रहण, धात्री देखरेख और प्रायोजकता के लिए सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा, सीपीएस 18 साल की आयु के बाद देखरेख पश्चात सेवाएं भी प्रदान करती है, ताकि संस्थानिक से स्वतंत्र जीवन में पारगमन के दौरान उनकी सहायता की जा सके । स्कीम विपदाग्रस्त बच्चों के लिए 24X7 आउटरीच हैल्पलाइन सेवा प्रदान करती है । यह सेवा समर्पित टोल-फ्री नम्बर 1098 के माध्यम से उपलब्ध है जिसका प्रयोग विपदाग्रस्त बच्चों द्वारा या उनकी ओर से प्रौढ़ों द्वारा भारत के भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी स्थान से किया जा सकता है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार इस समय सीपीएस के अंतर्गत देश में 2100 सीसीआई क्रियाशील हैं तथा स्कीम के माध्यम से लगभग 75660 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं ।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना :

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य नकदी प्रोत्साहन के रूप में मजदूरी की क्षति के लिए आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना है ताकि महिलाएं पहले बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद पर्याप्त आराम कर सकें; और गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं में स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के स्वभाव में सुधार लाने के लिए नकदी प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है । स्कीम के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 5000/-रुपये का मातृत्व लाभ अंतरित किया जाता है । मातृत्व लाभ शर्तों की पूर्ति के अधीन परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए महिला को उपलब्ध है । केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियमित रोजगार में शामिल सभी

गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं या ऐसी महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, जो उस समय लागू किसी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं । 28.11.2019 की स्थिति के अनुसार 11178036 महिलाओं को 4571.27 करोड़ रुपये के कुल लाभ का भुगतान किया गया है ।

मध्याह्न भोजन योजना :

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो मध्याह्न भोजन योजना के नाम से विख्यात है, एक सतत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसके तहत समग्र शिक्षा के अंतर्गत समर्थ मदरसों और मकतबों सहित सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की कक्षा-। से VIII में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चे शामिल हैं । 2017-18 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 11.34 लाख संस्थाओं में पढ़ने वाले 9.17 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए हैं ।

समग्र शिक्षा अभियान :

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 2018-19 से सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की तत्कालीन केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का विलय करके स्कूल शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा नामक एक समेकित स्कीम शुरू की है । यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो स्कूल-पूर्व से कक्षा-12 के लिए लागू है तथा इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी एवं साम्यपूर्ण अच्छी शिक्षा का सुनिश्चय करना है । इसके अंतर्गत स्कूल को स्कूल-पूर्व, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सतत सीढ़ी के रूप में माना गया है ।

स्कीम के अंतर्गत प्रमुख हस्तक्षेप इस प्रकार हैं : (1) अवसंरचना विकास एवं प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच; (2) जैंडर एवं समता; (3) समावेशी शिक्षा; (4) गुणवत्ता; (5) शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता; (6) डिजिटल पहलें; (7) यूनीफार्म, पाठ्यपुस्तक आदि सहित बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अधिकार; (8) स्कूल-पूर्व शिक्षा; (9) व्यावसायिक शिक्षा; (10) खेल और शारीरिक शिक्षा; (11) शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण और (12) स्कीम की निगरानी ।

उज्ज्वला स्कीम :

इस मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन प्राथमिक रूप से एक तरफ तस्करी का निवारण करने तथा दूसरी तरफ पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुन:एकीकरण तथा समाज में उन्हें पुन: मिलाने के उद्देश्य से किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरण के लिए जारी की जाती हैं । इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

i. सामाजिक गतिशीलता और स्थानीय समुदायों की संलग्नता, जागरुकता सृजन कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा समारोहों और किसी अन्य नवीन गतिविधि के माध्यम से जन चर्चा सृजित

करने के माध्यम से व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी का निवारण करना ।

ii. पीड़ितों को उनके शोषण के स्थान से बचाने और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना सुगम बनाना ।

iii. आश्रय, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा उपचार जैसी मूलभूत सुविधाओं/आवश्यकताओं को प्रदान करके पीड़ितों को शीघ्र और दीर्घ अवधि, दोनों प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना ।

iv. परिवार और समाज में पीड़ितों की वापसी को सुगम बनाना ।

v. सीमा-पार के पीड़ितों को उनके देश में वापस भिजवाना सुगम बनाना ।

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इसके उपयोग सहित उपरोक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में है ।

(घ) सरकार ने लैंगिक दुरुपयोग और शोषण से बच्चों की रक्षा करने के लिए विशेष कानून के रूप में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 का कार्यान्वयन किया है । यह अधिनियम पदनामित विशेष न्यायालयों के माध्यम से साक्ष्य रिपोर्ट और रिकार्ड करने, अपराध के अन्वेषण और तेजी से विचारण करने के लिए बाल हितैषी तंत्रों को शामिल करके न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बालक के हितों को सुरक्षित करते हुए यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है ।

यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

हाल ही में भारत सरकार ने दिनांक 16.08.2019 से यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया है । पोक्सो अधिनियम में दण्ड को और अधिक सख्त बनाने जैसे कि कारावास की अवधि को बढ़ाने और आजीवन कारावास को अपराधी के शेष जीवन तक बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है । इस संशोधन के पश्चात अपराध की गंभीरता पर निर्भर करते हुए न्यायालय अपराधी पर दण्ड लगा सकता है जिसमें गंभीर प्रवेशन यौन हमले के गंभीर मामलों में मृत्यु दंड का विकल्प भी शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त, इस संशोधन में बाल अश्लीलता की श्रेणी-वार परिभाषा तथा इस प्रकार के अपराधों को रोकने के प्रावधानों की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त, प्रवेशन लैंगिक हमले के उद्देश्य के लिए शीघ्र यौन परिपक्वता लाने के लिए बालक को कोई हार्मोन या कोई रसायनिक पदार्थ देने या दिलवाने के अपराध को शामिल करने के लिए उपधारा 9(v) लाई गई है । सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के साथ समकालिक बनाने के लिए पोक्सो अधिनियम की धारा 62 को भी संशोधित किया गया है । इस संशोधन के पश्चात माननीय मंत्री (महिला एवं बाल विकास) ने संशोधित पोक्सो अधिनियम को ध्यान में रखने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा स्थानीय निकायों/पीआरआई अध्यक्षों को पत्र लिखा था ।

पोक्सो अधिनियम के बारे में जागरुकता लाने के लिए पोक्सो अधिनियम पर एक लघु फिल्म (45 सैकेंड की) का प्रसारण दिनांक 02.10.2019 से 08.10.2019 तक पूरे देश के सिनेमा हालों तथा दूरदर्शन पर किया गया था ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल सुरक्षा और बाल यौन शोषण को रोकने के मामले पर स्कूलों में जागरूकता और सुग्राहीकरण के लिए आवश्यक राज्य क्षेत्रों के एसई व सी विभाग तथा विद्यालयी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों से भी अनुरोध किया है, जिसके बाद अनुस्मारक और फॉलोअप पत्र भी भेजे गए हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पोक्सों अधिनियम पर जागरूकता सृजन तथा अन्य अपेक्षित अनुपालनों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखे गए हैं जिसके पश्चात अनुस्मारक भी भेजे गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुरोध पर, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, एमएचआरडी ने बताया है कि उन्होने प्रत्येक स्कूल में बाल सुरक्षा पर एक लघु फिल्म "कोमल" दिखानी शुरू की है । समग्र शिक्षा के अंतर्गत, स्कूल सुरक्षा संकल्प शुरू किया गया है । बाल हैल्पलाइन नंबर को दर्शाने के लिए सभी स्कूलों को पत्र भेजे गए है। निष्ठा, एक टीचर प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका लक्ष्य 42 लाख टीचरों, प्रधानाचारियों ऐलीमेंटरी स्तर के सरकारी स्कूलों के अध्यक्षों, डिस्ट्रिक्ट इन्सटीटयूट ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड ट्रैनिंग (डीआईईटी), स्टेट काऊन्सिल ऑफ ऐजुकेश्नल रिसर्च एंड ट्रैनिंग (एससीईआरटी) ब्लाक संसाधन समन्वयकों (बीआरसी), तथा क्लस्टर संसाधन समन्वयकों (सीआरसी) अगले वित्तीय वर्ष तक प्रशिक्षित करता है, प्रक्रिया में है। एनसीईआरटी ने प्रत्येक पाठयपुस्तक में 1098 चाइल्डहैल्पलाइन नंबर तथा पोक्सो ई-बॉक्स का संदर्भ प्रकाशित करना शुरू किया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (सीपीसीआर) 2015 के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों की स्थापना की गई है। आयोगों को पोक्सो अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 की धारा 44 के माध्यम से अधिदेश दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 26 अप्रैल, 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति (एनपीसी) 2013 अपनाई है। जो देश में सभी बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है ।

मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.01.2017 को विस्तृत और व्यापक राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 की शुरूआत की गई थी ।

बाल विवाह की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए, बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य और इससे संबंधित या इसके अनुषंगिक मामलों के लिए बाल विकास प्रतिषेध अधिनियम 2006 (पीसीएमए) पारित किया गया है।

मानव तस्करी को रोकने और इससे जूझने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा किए गए उपाय

"पुलिस' भारत के संविधान की सांतवी अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है और इसलिए मानव तस्करी और बालकों के विरूद्ध होने वाले अपराध को रोकना राज्य सरकारों का उत्तर दायित्व होता है। हांलाकि, गृह मंत्रालय विभिन्न पहलों तथा उपायो के द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन दे रहा है। गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी रोधी एकको की स्थापना के लिए सभी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और राज्यों के विभिन्न जिलों में 332 मानव तस्करी रोधी यूनिटो की स्थापना की गई है। गृह मंत्रालय तस्करी से संबंधित विभिन्न प्रावधानों और तस्करी को कम करने में उनकी भूमिका के बारे में पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा अभियोजकों को संवेदनशील बनाने के लिए न्यायिक सम्मेलनों और राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयेाजन करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा न्यायियक ऐकेडमियां खोलने में भी सहायता देता है। महिला एवं बाल

विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (प्रवासी संरक्षक), रेल मंत्रालय) सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल तथा सिविल सोसायटी संगठनों आदि जैसे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मानव तस्करी रोधी यूनिटो के नोडल अधिकारियों की बैठकों का आयोजन मानव तस्करी से संबंधित मामलों की समीक्षा तथा विचार विमर्श करने और मानव तस्करी के मुद्दों पर होने वाले नवीनतम विकास पर भागीदारों को संवेदनशील बनाने के लिए आवधिक आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी को रोकने और इसमें जूझने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर विभिन्न सलाहकार पत्र भी जारी किए है। ये सलाहकार पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम 2019 के माध्यम से, एनआईएस अधिनियम, 2008 की अनुसूची में संशोधन किया गया है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 320 और 370 ए के अंतर्गत मानव तस्करी से संबंधित अपराधों के मामले में अन्वेषण करने का अधिकार दिया गया है।

*****

अनुलग्नक -I

"बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 173 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरणी

आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत वर्ष - वार निर्मुक्त और उपयोग की गई निधि

(लाख रुपए में)

स्कीम	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20 (18.11.2019 तक)		
	अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त निधि	उपयोग की गई निधि	अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त निधि	उपयोग की गई निधि	अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त निधि	उपयोग की गई निधि
आंगनवाड़ी सेवाएं	1587118.02	1442970	1252709.83	1569801.35	1509431.95	1213863.8	1688178.53	1675018.08	749081.76	1992767.61	1400306.32	उपयोग की गई निधि की कुल गणना राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से यूसी / एसओई प्राप्त होने के बाद और कुल निधि निर्मुक्त किए जाने के बाद की जाएगी

पोषण अभियान के तहत राज्यों और विधान सभा वाले संघ शासित प्रदेशों को वर्ष-वार निधि निर्मुक्त करना और उपयोग करना (लाख रुपए में)

स्कीम	2017-18 & 2018-19				2019-20	
	निर्मुक्त केंद्रीय निधियों			2018-19 के दौरान केंद्रीय सहभागी उपयोगिता	2019-20 के दौरान केंद्रीय निर्मुक्त निधि	31.10.2019 तक वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्रीय शेयर प्रयुक्ता
	2017 – 18 +आईएसएसएनआईपी का अव्ययित राशि	2018-19	कुल			
पोषण अभियान	63984.29	254404.39	318388.68	55678.82	106502.96	71673.64

बिना विधान सभा वाले संघ शासित प्रदेशों को पोषण अभियान के तहत वर्ष-वार निर्मुक्त निधि और प्रयुक्ता

(लाख रुपए में)

स्कीम	2017-18 और 2018-19				2019-20	
	केंद्रीय निर्मुक्त निधि			2018-19 के दौरान केंद्रीय शेयर की प्रयुक्ता	2019-20 के दौरान केंद्रीय निर्मुक्त निधि	31.10.2019 तक 2019-20 के दौरान केंद्रीय शेयर की प्रयुक्ता
	2017 – 18 +आईएसएसएनआईपी का अव्ययित राशि	2018-19	कुल			
पोषण अभियान	469.99	1189.59	1659.58	504.29	1839.48	532.33

नोट : हालांकि 2017-18 के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निधि निर्मुक्त की गई थी, मिजोरम और चंडीगढ़ को छोड़कर कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निधि का उपयोग नहीं कर सके I केवल मिजोरम द्वारा 8119.38/- रुपए लाख और चंडीगढ़ द्वारा रुपए 36,000/- का उपयोग किया गया I

किशोरियो के लिए स्कीम के तहत वर्ष-वार निर्मुक्त निधि और प्रयुक्ता

(लाख रुपये में)

स्कीम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि
किशोरियो के लिए स्कीम	47700.06	50722.88	44629.53	40181.3	20403.88	9869.39	8438.58	668.23

राष्ट्रीय क्रेच योजना के तहत वर्ष-वार निर्मुक्त निधि और प्रयुक्त

(लाख रुपये में)

स्कीम	2016-17 (अर्थात 1.1.2017)	2017-18	2018-19	2019-20	कुल उपयोग की गई राशि
	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	
राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	4682.81	4892.43	2805.54	1760.47	3837.46

बाल संरक्षण योजना के तहत वर्ष-वार निर्मुक्त निधि और प्रयुक्त

(लाख रुपये में)

स्कीम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20
	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त राशि
बाल संरक्षण योजना	50847.97	46769.35	52469.95	52823.64	73451.70	63011.68	58752.16

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत वर्ष-वार निर्मुक्त निधि और प्रयुक्त

स्कीम	2017-18 (लाख रुपये में)		2018-19 (लाख रुपये में)		2019-20 (14.11.2019 तक) (लाख रुपये में)	
	स्वीकृत /निर्मुक्त	प्रयुक्त राशि	स्वीकृत /निर्मुक्त	प्रयुक्त राशि	स्वीकृत /निर्मुक्त	प्रयुक्त राशि
पीएमएमवीवाई	204859.26	32757.71	104955.77	236245.76	116729.76	197803.76

मध्याह्न भोजन स्कीम के तहत वर्ष-वार निर्मुक्त निधि और प्रयुक्त

(लाख रुपये में)

केंद्रीय सहायता आवंटित / निर्मुक्त	प्रयुक्त राशि	आवंटित / निर्मुक्त केंद्रीय सहायता	प्रयुक्त राशि	आवंटित/निर्मुक्त केंद्रीय सहायता	प्रयुक्त राशि	19.11.2019 तक आवंटित / निर्मुक्त केंद्रीय सहायता
2016-17		2017-18		2018-19		2019-20
9478.61	9301.51	9090.68	9075.76	9512.35	9227.52	5480.18

समग्र शिक्षा/पूर्ववर्ती एसएसए और आरएमएसए के तहत वर्ष-वार निर्मुक्त निधि और व्यय

)

क्रम संख्या	वर्ष	केंद्रीय निर्मुक्त	व्यय*
1	2016-17 (एसएसए और आरएमएसए)	25345.71	56571.04
2	2017-18(एसएसए और आरएमएसए)	27508.13	54897.64
3	2018-19 (समग्र शिक्षा)	29294.23	45284.87
4	2019-20 (समग्र शिक्षा) अक्तूबर ,2019 तक	20846.29	17238.68

* केंद्रीय निर्मुक्त केंद्र द्वारा राशि और राज्य द्वारा निर्मुक्त राशि सहित कुल उपलब्ध निधि के प्रति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यय

उज्जवला योजना के तहत वर्ष-वार निर्मुक्त निधि और व्यय

(राशि लाख रुपए में)

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटन (संशोधित अनुमान)	प्रयुक्त राशि
1	2016-17	2400.00	1065.24
2	2017-18	3000.00	729.22
3	2018-19	2000.00	110.98
4	2019-20 (27.11.2019 तक)	3000.00	शून्य